प्रेस विज्ञप्ति
10/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2024 को नितेश कुमार और अन्य के मामले में रॉबिन कुमार यादव, रविनंदन प्रसाद वर्मा, मो. हुसैन, रमेश प्रसाद बरनवाल, मेसर्स एनआरएस बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एनआरएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रियल्टीवेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विदेशी नागरिकों पर साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से अर्जित 20.01 करोड़ रुपये के धन-शोधन के अपराध के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आयरिश प्राधिकारियों से प्राप्त एक आयरिश नागरिक के साथ साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर नितेश कुमार और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। शिकायत में बताया गया था कि पीड़ित आयरिश महिला के साथ साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 950 यूरो (84,941.40 रुपये) की राशि की ठगी की गई थी और बाद में अपराध की आय (धोखाधड़ी की राशि) को रूपया आहरण समझौता (आरडीए) योजना के तहत विभिन्न भुगतान गेटवे से होते हुए विदेशी धन-प्रेषण के माध्यम से आरोपी के भारतीय बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और बोलपुर में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और साइबर धोखाधड़ी के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने में शामिल थे। जांच के दौरान, ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने दिनांक 16.02.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष पहली अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। इसके अलावा, अब तक ईडी ने बैंक जमा, शेयरों और पीयर टू पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के रूप में 6.38 करोड़ रुपये की अपराध आय को फ्रीज/जब्त कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।

सत्यमेव जयते